न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 519 / 2024

अनवान : –

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. लिछभ्मा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. मीरा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. शारदा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. मैना देवी पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. मनोज पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. मदन पुत्र स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. सावित्री पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. सोना देवी पत्नी श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 328 / 202 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वादी वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता श्योचन्द पुत्र रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी एक बहिन संन्तोष का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 जायज वारिसान है श्योचन्द पुत्र रामकरण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 व 8 ता 12 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन / मात / भाजना / भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही चाहते है इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण श्योचन्द व सन्तोष तथा सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता श्योचन्द पुत्र रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी एक बहिन संन्तोष का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 जायज वारिसान है श्योचन्द पुत्र रामकरण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 व 8 ता 12 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन/मात/भाजना/भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्यांग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का [illegible] डिक्री [illegible] जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 328/202 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता श्योचन्द पुत्र रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी एक बहिन संन्तोष का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 जायज वारिसान है श्योचन्द पुत्र रामकरण के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 व 8 ता 12 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन/मात/भाजना/भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक श्योचन्द के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 328/202 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में श्योचन्द पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल रा.प्र.से.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 519/2024
अनवान : –

1. रामेश्वरलाल पुत्र श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. लिछभ्मा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. मीरा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. शारदा पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. मैना देवी पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. मनोज पुत्री श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. मदन पुत्र स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. सावित्री पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री स्व0 सन्तोष जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. सोना देवी पत्नी श्योचन्द जाति छिम्पा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 519 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 328/202 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि श्योचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में श्योचन्द पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:40:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर